पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 103/2020

1. अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नुंवा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मतुराम जाति ब्राह्मण निवासी नुंवा त0 भादरा।

असल प्रतिवादी

2. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी नुंवा त0 भादरा।
3. कविता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रतनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सोमसीसर त0 तारानगर जिला चुरू।
4. सरोज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति ब्राह्मण निवासी रासलाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश कुमार एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महेश बंसल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0, खसरा सं0 209 की 6.4750है0, खसरा सं0 295 की 0.6070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अनिल कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

1/

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 103/2020

1. अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नुंवा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मलुराम जाति ब्राहम्ण निवासी नुंवा त0 भादरा।

असल प्रतिवादी

2. राकेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नुंवा त0 भादरा।
3. कविता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रतनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सोमसीसर त0 तारानगर जिला चुरू।
4. सरोज पुत्री ओमप्रकाश पत्नी राजेश जाति ब्राहम्ण निवासी रासलाना त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश कुमार **: वादी**

वकील श्री महेश बंसल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 12/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0, खसरा सं0 209 की 6.4750है0, खसरा सं0 295 की 0.6070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मलुराम की खातेदारी हुआ करती थी। मलूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा [illegible] की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण [illegible] किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी नुंवा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि नामांतरण प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही नुंवा खाता सं0 101/81 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, सत्यप्रति

Scanned with CamScanner

जमाबंदी रोही नुंवा खाता सं0 174/155 संवत 2072–75 प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने नुवां के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमावंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में ओमप्रकाश के दो पुत्र अनिल कुमार व राकेश कुमार व दो पुत्री सरोज व कविता के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि मोजा नुंवा के खाता सं0 174/155 के खसरा सं0 199 की 5.9940है0, खसरा सं0 200 की 14.9860है0 कुल 20.9800है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का 1010 हिस्सा में अपने भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम यथावत रखते हुए रोही नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0, खसरा सं0 209 की 6.4750है0, खसरा सं0 295 की 0.6070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामां डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही नुवां के खाता सं0 101/81 के खसरा सं0 105 की 11.6350है0, खसरा सं0 209 की 6.4750है0, खसरा सं0 295 की 0.6070है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी अनिल कुमार व प्रतिवादी सं0 2 राकेश कुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner